

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/जे.सी. (एस.एम.)/2011/डी- 6105

दिनांक: 3-10-11

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 166वीं बैठक दिनांक 21.09.2011 का कार्यवाही विवरण

| ए.सं.     | विषय   | बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव   | सम्बन्धित अधिकारी | पालना रिपोर्ट |
|-----------|--|--|-------------------|---------------|
| 1 166.1   | कार्यकारी समिति की 164वीं बैठक दिनांक 04.08.11 व 165वीं बैठक दिनांक 23.08.11 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से 164वीं व 165वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि किये जाने का निर्णय लिया गया।   |                   |               |
| 2 166.2   | भूखण्ड सं. बी-333, सालिगरामपुरा में आवंटित भूखण्ड पुनर्ग्रहण में होने पर भूखण्ड का नियमितकरण करने बाबत।  | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड सं. बी-333, सालिगरामपुरा में आवंटित भूखण्ड पर निर्माण नहीं होने पर नियमानुसार पुनर्ग्रहण शुल्क राशि वसूल की जाकर निर्माण अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया।  | उपायुक्त जोन-14   |               |
| 3 166.3   | जयपुर महानगर टाईम्स को लालकोठी योजना में भूखण्ड-2 क्षेत्रफल 545 व.मी. भूमि पर निर्माण देरी के कारण पुनर्ग्रहण शुल्क वसूलने बाबत।                         | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जयपुर महानगर टाईम्स को लालकोठी योजना में भूखण्ड-2 क्षेत्रफल 545 व.मी. भूमि पर निर्माण देरी के कारण पुनर्ग्रहण शुल्क राशि वसूल की जाकर निर्माण अवधि बढ़ाये जाने हेतु प्रकरण में 1974 के नियम 31 के तहत नियमों में शिथिलता राज्य सरकार द्वारा ही दी जा सकती है। अतः प्रकरण को राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। | उपायुक्त जोन-3    |               |
| 4 166.4   | आवासीय भूखण्ड सं. डी-124, योजना आनन्द विहार की पुनर्ग्रहण राशि लिये जाने की स्वीकृति के संबंध में।   | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से आवासीय भूखण्ड सं. डी-124, योजना आनन्द विहार की पुनर्ग्रहण शुल्क राशि वसूल किये जाने का निर्णय लिया गया।   | उपायुक्त जोन-9    |               |
| 5 166.5   | कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड सं. जी-250, के नियमितकरण के संबंध में।  | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड सं. जी-250, के नियमितकरण किये जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।   | उपायुक्त जोन-13   |               |
| 6 166.6   | कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड सं. ई-144, के नियमितकरण के संबंध में।   | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड सं. ई-144, के नियमितकरण किये जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।  | उपायुक्त जोन-13   |               |
| 7 166.7   | कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड सं. ई-256, के नियमितकरण के संबंध में।   | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड सं. ई-256, के नियमितकरण किये जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।  | उपायुक्त जोन-13   |               |
| 8 166.8   | कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड सं. एच-481, के नियमितकरण के संबंध में।  | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड सं. एच-481, के नियमितकरण किये जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।   | उपायुक्त जोन-13   |               |
| 9 166.9   | कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड सं. जी-397, के नियमितकरण के संबंध में।  | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड सं. जी-397, के नियमितकरण किये जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।   | उपायुक्त जोन-13   |               |
| 10 166.10 | भूखण्ड सं. 411, सूरजपुरा भाटावाला डेयरी योजना के नियमितकरण करने बाबत।  | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड सं. 411, सूरजपुरा भाटावाला डेयरी योजना के नियमितकरण हेतु पुनर्ग्रहण शुल्क राशि वसूल की जाकर निर्माण अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया।   | उपायुक्त जोन-14   |               |

अचिद,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


| ए.सं. | विषय   | बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव   | सम्बन्धित अधिकारी   | पालना रिपोर्ट                    |
|-------|--------|--|---|----------------------------------|
| 11    | 166.11 | भूखण्ड सं. 1551, रोहिणी नगर तृतीय का नियमितिकरण करने बाबत।   | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड सं. 1551, रोहिणी नगर तृतीय का नियमितिकरण किये जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।  | उपायुक्त जोन-14                  |
| 12    | 166.12 | भूखण्ड सं. बी-32, योजना रामनगरिया विस्तार में निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में नहीं किये जाने के कारण विलम्ब शुल्क लिया जाकर नियमितिकरण किये जाने के संबंध में।  | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड सं. बी-32, योजना रामनगरिया विस्तार में निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में नहीं किये जाने के कारण पुनर्ग्रहण शुल्क लिया जाकर निर्माण अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया।  | उपायुक्त जोन-9                   |
| 13    | 166.13 | गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में आवास सं. 55 के नियमितिकरण के संबंध में।  | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में आवास सं. 55 के नियमितिकरण किये जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।  | उपायुक्त जोन-8                   |
| 14    | 166.14 | स्वप्न लोक आवासीय योजना में भूखण्ड सं. सी-167 का आवंटन निरस्त कर जमा राशि वापस लोटाने बाबत।  | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रार्थी को उनके द्वारा प्रस्तुत पत्र के अनुसार इसी योजना में अन्य भूखण्ड समान क्षेत्रफल का भूखण्ड पूर्व में आवंटित भूखण्ड के अनुरूप स्थिति स्थान पर विनिमय में आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।  | उपायुक्त जोन-12                  |
| 15    | 166.15 | जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 155वीं बैठक दिनांक 21.09.10 की अनुपालना में जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित जयपुर वाल्मिकी गृह नि.स.स. की योजना धीर विहार (शाहपुरबाग) के पुनर्गठित भूखण्ड सं. 1 से 8, 17 व 18 कुल क्षेत्रफल 5999.90 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के मानचित्र में आवासीय से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (किशन लाल अग्रवाल) | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 155वीं बैठक दिनांक 21.09.10 की अनुपालना में जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित जयपुर वाल्मिकी गृह नि.स.स. की योजना धीर विहार (शाहपुरबाग) के पुनर्गठित भूखण्ड सं. 1 से 8, 17 व 18 कुल क्षेत्रफल 5999.90 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के मानचित्र में आवासीय से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ के संबंध में निर्णय लिया गया कि चूंकि नया मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2025 लागू हो चुका है। अतः मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2025 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार ही इस प्रकरण में कार्यवाही की जावे। | अति. मुख्य नगर नियोजक (मा.प्लान) |
| 16    | 166.16 | जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम जाहौता तहसील आमेर के खसरा नम्बर 1900 रकबा 0.01 हैक्टर एवं ख.नं. 1901 रकबा 0.58 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.39 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (चन्दा पुत्र श्री मांग्या)   | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण में राज्य सरकार के पत्र दिनांक 25.01.2011 की अनुपालना में प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।   | अति. मुख्य नगर नियोजक (मा.प्लान) |
| 17    | 166.17 | श्री रामकल्याण शर्मा, सहायक के पिताजी का प्राधिकरण से गैर अनुमोदित निजी अस्पताल में कराये गये इलाज की स्वीकृति एवं इलाज पर व्यय हुई राशि की पुनर्भरण की स्वीकृति बाबत।   | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से श्री रामकल्याण शर्मा, सहायक के पिताजी का प्राधिकरण से गैर अनुमोदित निजी अस्पताल में कराये गये इलाज की स्वीकृति एवं इलाज पर व्यय हुई राशि की पुनर्भरण की स्वीकृति एस.एम.एस. अस्पताल/अनुमोदित अस्पताल में इलाज कराने पर होने वाले व्यय के बराबर राशि का पुनर्भरण किये जाने का निर्णय लिया गया।   | अति. आयुक्त (प्रशासन)            |

सचिव,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| ए.सं.  | विषय   | बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव   | सम्बन्धित अधिकारी   | पालना रिपोर्ट                              |
|--|--------|--|---|--|
| 18   | 166.18 | जयपुर विकास प्राधिकरण में संविदा पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 08.07.2011 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान किये जाने की स्वीकृति जारी करने के संबंध में। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जयपुर विकास प्राधिकरण में संविदा पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 08.07.2011 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान किये जाने के संबंध में जविप्रा के कार्यालय आदेश क्रमांक प. 4 (10)जविप्रा/संस्था/83 दिनांक 14.10.11 के क्रम में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। | अति. आयुक्त (प्रशासन)                      |
| 19   | 166.19 | प्राधिकरण सेवा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी जो पुरानी वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को बढा हुआ मंहगाई भत्ता भुगतान करने के संबंध में।   | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्राधिकरण सेवा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी जो पुरानी वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को बढा हुआ मंहगाई भत्ता भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।   | अति. आयुक्त (प्रशासन)                      |
| 20   | 166.20 | खुशी विहार योजना में व्यावसायिक भूखण्ड सं. सी-14 क्षेत्रफल 464.50 व.मी. के नियमितिकरण के संबंध में।  | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से खुशी विहार योजना में व्यावसायिक भूखण्ड सं. सी-14 क्षेत्रफल 464.50 व.मी. के नियमितिकरण किये जाने एवं ब्याज/पैनल्टी जमा कराये जाने की शर्त पर निलामी में आवंटित भूखण्ड को नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।   | अति. निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण) |
| अन्य एजेण्डा आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTRY AGENDA) |        |  |   |  |
| 21   | 166.21 | Agenda Regarding Approval of Tender for the work: Improvement & Widening of Kalwar road from Hatoj Scheme mode to Kalwar village.  | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार हाथोज स्कीम मोड से कालवाड गांव तक की सडक नवीनीकरण के कार्य को कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।  | Exe. Eng.-12                               |
| 22   | 166.22 | Agenda Regarding Approval of Tender for the work of "Renewal of Main Roads in Zone-6 area, JDA Jaipur.   | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार जोन-6 के मुख्य सडको के नवीनीकरण के कार्य को कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।  | Exe. Eng.-6                                |
| 23   | 166.23 | भूखण्ड सं. 533-534, सूरजपुरा भाटावाला डेयरी योजना के नियमितिकरण बाबत।  | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड सं. 533-534, सूरजपुरा भाटावाला डेयरी योजना के नियमितिकरण किये जाने एवं नियमानुसार ब्याज एवं पैनल्टी वसूल किये जाने का निर्णय लिया गया।  | उपायुक्त जोन-14                            |
| 24   | 166.24 | श्री शेर सिंह लुहाडिया, तहसीलदार की पत्नि श्रीमती सोनल जैन का प्राधिकरण से गैर अनुमोदित निजी अस्पताल में कराये गये इलाज की स्वीकृति एवं इलाज पर व्यय हुई राशि की पुनर्भरण की स्वीकृति बाबत।            | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से श्री शेर सिंह लुहाडिया, तहसीलदार की पत्नि श्रीमती सोनल जैन का प्राधिकरण से गैर अनुमोदित निजी अस्पताल में कराये गये इलाज की स्वीकृति एवं इलाज पर व्यय हुई राशि रूपये 779996/- का पुनर्भरण की स्वीकृति प्रदान की गई।   | अति. आयुक्त (प्रशासन)                      |
| 25   | 166.25 | Installation of ATCS phase-III in Jaipur city.   | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार अनुमोदन किया गया।   | Exe. Eng. (Elect.-P-4)                     |
| 26   | 166.26 | Construction for 4 Lane High Level Bridge on Amani Shah ka Nallah from Maharnai Farm to Mansarovar, Shipra Path, Jaipur."  | अमानीशाह नाले पर चार लेन के उच्च पूल बनाने के संबंध में निदेशक (परियोजना) द्वारा प्रजेन्टेशन प्रस्तुत किया गया विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि पूल बनाने के स्थान में बदलाव होने के कारण पूल बनाने के प्रस्तुत प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया।   | Exe. Eng. (Pro.-3)                         |

सचिव,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| ए.सं. | विषय   | बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव   | सम्बन्धित अधिकारी   | पालना रिपोर्ट   |  |
|-------|--------|--|---|-----------------|--|
| 27    | 166.27 | घाट की गुणी टनल परियोजना के अलाईमेन्ट में आ रहे स्ट्रक्चर्स के कब्जेधारियों को अन्यत्र भूखण्ड एवं मुआवजा दिये जाने के संबंध में। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि घाट की गुणी टनल योजना जविप्रा की एक महत्वपूर्ण योजना है तथा उक्त योजना के अलाईमेन्ट में आ रहे 17 कब्जेधारियों को मकान सहित हटाना अनिवार्य है। अतः पट्टेशुदा भूखण्ड के क्षेत्रफल के बराबर जविप्रा की आवासीय योजना निलय कुन्ज/पालडी मीणा/सुमेल/रामनगरिया विस्तार में निःशुल्क भूखण्ड संबंधित आवासीय योजना की आरक्षित दर के समतुल्य मूल्य के मददेनजर आवंटन किये जाने तथा निर्मित स्ट्रक्चर का मुआवजा वर्तमान बाजार दर के आधार पर दिये जाने का निर्णय लिया गया तथा जिसका अनुमोदन प्राधिकरण की बैठक में रखकर कराये जाने का भी निर्णय लिया गया। | उपायुक्त जोन-10 |  |
| 28    | 166.28 | जविप्रा की आवासीय योजना अभिनव विहार के भूखण्ड सं. बी-273 को निरस्त करने पर जब्त पंजीकरण राशि को लौटाने के क्रम में।              | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने आवेदन पत्र में कोई गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं किये थे, बल्कि सत्य रूप से आय प्रदर्शित की थी, आय के आधार पर प्रार्थी को भूखण्ड आवंटित नहीं किया जा सकता है, तो रजिस्ट्रेशन राशि जब्त किया जाना उचित नहीं होगा। अतः जब्त की गई पंजीकरण राशि लौटाये जाने का निर्णय लिया गया।   | उपायुक्त जोन-14 |  |

  
 सचिव  
 जयपुर निका प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/जे.सी. (एस.एम)/2011/डी- 6/0 6  
प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

दिनांक: 3-10-11

| क्र.स. | पद   | विभाग का नाम                                 |
|--------|--|--|
| 1      | विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय                  | नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार। |
| 2      | महापौर   | जयपुर नगर निगम।                              |
| 3      | जिला प्रमुख  | जिला परिषद, जयपुर।                           |
| 4      | अध्यक्ष  | राजस्थान आवासन मण्डल।                        |
| 5      | प्रमुख शासन सचिव                                   | नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।          |
| 6      | आयुक्त   | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।                |
| 7      | अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक                         | रीको, जयपुर।                                 |
| 8      | प्रबन्ध निदेशक                                     | राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।           |
| 9      | प्रबन्ध निदेशक                                     | राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।        |
| 10     | जिला कलक्टर  | जिला कलैक्ट्रेट, जयपुर।                      |
| 11     | मुख्य कार्यकारी अधिकारी                            | नगर निगम, जयपुर।                             |
| 12     | पुलिस अधीक्षक                                      | पुलिस विभाग, जयपुर।                          |
| 13     | सचिव   | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।                |
| 14     | मुख्य नगर नियोजक                                   | नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।                 |
| 15     | मुख्य अभियन्ता                                     | सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।              |
| 16     | मुख्य अभियन्ता                                     | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।      |
| 17     | मुख्य अभियन्ता                                     | जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।          |
| 18     | निदेशक (विधि)                                      | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।                |
| 19     | निदेशक (अभियांत्रिकी/प्रोजेक्ट)                    | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।                |
| 20     | निदेशक (परियोजना)                                  | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।                |
| 21     | निदेशक (आयोजना)                                    | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।                |
| 22     | निदेशक (वित्त)                                     | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।                |
| 23     | अतिरिक्त आयुक्त पूर्व/पश्चिम/प्रशासन/एल.पी.सी/भूमि | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।                |
| 24     | अति. मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान)               | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।                |
| 25     | विशेषाधिकारी (आर.एण्ड.एम)                          | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।                |
| 26     | संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)                 | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।                |
| 27     | उपायुक्त जोन.....                                  | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।                |
| 28     | विशेषाधिकारी (जन-सम्पर्क)                          | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।                |

सम्बन्धित अधिकारी आगामी बैठक से पूर्व पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें।

सचिव  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 166वीं बैठक दिनांक 21.09.11 को दोपहर 12.00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री कुलदीप रांका, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

| क्र. सं.             | नाम सदस्य/ अधिकारी    | पद                                   | विभाग                        | पदनाम              |
|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1                    | श्री कुलदीप रांका     | आयुक्त                               | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | अध्यक्ष            |
| 2                    | श्रीमती शुचि शर्मा    | सचिव                                 | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | सदस्य              |
| 3                    | श्री डी.सी. जवंडा     | निदेशक (वित्त)                       | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | सदस्य              |
| 4                    | श्री एच. एस. संचेती   | निदेशक नगर नियोजक                    | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | सदस्य              |
| 5                    | श्री एन.सी. माथुर     | निदेशक (प्रोजेक्ट)                   | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | सदस्य              |
| 6                    | श्री एम.पी. शर्मा     | निदेशक (विधि)                        | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | सदस्य              |
| 7                    | श्री वी.एस. सुण्डा    | निदेशक (इंजिनियरिंग)                 | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | सदस्य              |
| 8                    | श्री दिनेश चन्द       | अधिकाधी अभियन्ता                     | पी.डब्ल्यू.डी                | सदस्य के प्रतिनिधि |
| 9                    | श्री विनय शर्मा       | अधिकाधी अभियन्ता                     | जेवीवीएनएल                   | सदस्य के प्रतिनिधि |
| 10                   | श्री रामावतार मीणा    | अति. जिला मजिस्ट्रेट (पूर्व)         | कलेक्ट्रेट, जयपुर            | सदस्य के प्रतिनिधि |
| 11                   | श्री ओ.पी. गुप्ता     | आयुक्त (आर)                          | नगर निगम, जयपुर              | सदस्य के प्रतिनिधि |
| अन्य अधिकारी उपस्थित |                       |                                      |                              |                    |
| 12                   | श्री पुखराज सैन       | अति. आयुक्त (पूर्व)                  | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर |                    |
| 13                   | श्री पी. अरविन्द      | अति. मुख्य नगर नियोजक                | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर |                    |
| 14                   | श्री जाकिर हुसैन      | अति. निदेशक राजस्व सम्पत्ति निस्तारण | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर |                    |
| 15                   | श्री एस. मित्रा       | संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)   | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर |                    |
| 16                   | श्री अल्पा चौधरी      | उपायुक्त जोन-5                       | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर |                    |
| 17                   | श्री पुरुषोत्तम शर्मा | उपायुक्त जोन-8                       | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर |                    |
| 18                   | श्री राकेश शर्मा      | उपायुक्त जोन-9                       | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर |                    |
| 19                   | श्री ओकार मल सैनी     | उपायुक्त जोन-10                      | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर |                    |
| 20                   | श्री नरेन्द्र सिंह    | उपायुक्त जोन-13                      | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर |                    |
| 21                   | श्री संजय जैन         | उपायुक्त जोन-14                      | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर |                    |
| 22                   | श्री एम.एल. चौधरी     | सर्किल अभियन्ता                      | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर |                    |
| 23                   | श्री टी.के. शर्मा     | सर्किल अभियन्ता-पी-2                 | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर |                    |
| 24                   | श्री रामप्रसाद        | अधिकाधी अभियन्ता (12)                | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर |                    |
| 25                   | श्री संजय पुनिया      | अधिकाधी अभियन्ता (6)                 | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर |                    |
| 26                   | श्रीमती उषा जैन       | पी.आर.ओ                              | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर |                    |

सचिव  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर